उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा) अनुभाग-2

संख्या-1/2016/ए-2-65/दस-2016-जनरल(2)/2016

लखनऊ: दिनांक 15 फरवरी, 2016

निदेशक,

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

उत्तर प्रदेश शासन।

कतिपय संस्थाओं/निगमों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व अनुभाग) द्वारा सेवाकर की देयता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत किये गये नोटिफिकेशन्स/सेवाकर अधिनियम की शर्तो एवं प्राविधानों के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित आगणनों पर सर्विस टैक्स की देयता बन रही है, परन्तु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा सर्विस टैक्स की धनराशि को सम्बन्धित निर्माण आगणनों में अनुमन्य नहीं किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सर्विस टैक्स भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित अधिनियम के अन्तर्गत देय होता है और अधिनियम के अन्तर्गत सर्विस टैक्स का भुगतान किया जाना अनिवार्य है और यह एक विधिक बाध्यता है। अत: सम्बन्धित प्रकरणों के परीक्षणोपरान्त यदि सर्विस टैक्स की नियमानुसार देयता पायी जाती है, तो उसे आगणनों में अनुमन्य किया जाना चाहिये।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

मुकेश मित्तल
सचिव, वित्त।

संख्या-1/2016/ए-2-65(1)/दस-2016-जनरल(2)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasandesh.up.nic.in